न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, झांसी।
आर्बी. इजराय सं०–12/2025
भारतीय स्टेट बैंक बनाम राहुल कुमार।

दि०–13.04.2026

1– पत्रावली प्रस्तुत की गयी। डिक्रीदार के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र सं०– 16A1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी भारतीय स्टेट बैंक एवं विपक्षी राहुल कुमार के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। जिसके आधार पर विपक्षी राहुल कुमार के निर्देशानुसार उसकी माँ एवं सगे भाई के द्वारा समझौते के तहत निर्धारित धनराशि को वादी बैंक के यहाँ ऋण खाता संख्या –40368421070 में जमा कर दिया गया है और इस कारण उक्त प्रकरण को पूर्ण सन्तुष्टि में निस्तारित करने की याचना की गयी है।

2– चूंकि उभयपक्ष के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर वादऋणी द्वारा राजीनामा के अनुसार निर्धारित धनराशि डिक्रीदार बैंक को अदा कर दी गयी है। अब कोई धनराशि वादऋणी पर शेष नहीं है। इस सम्बन्ध में बैंक मैनेजर का अपने विद्वान अधिवक्ता को मुकदमा समाप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है, जो पत्रावली में कागज सं०–17 सी2 के रुप में दाखिल है। अतः अब इस इजराय को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र सं०–16A2 स्वीकार किया जाता है तथा यह इजरायवाद पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित की जाती है। इस मामले में न्यायालय द्वारा पूर्व में वादऋणी के बैंक खाता सं० –65610100019000 को मु०–8,74,412/–रु० तक कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था और उक्त के अनुपालनार्थ शाखा प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, उरई शाखा, जिला जालौन द्वारा वादऋणी के उपरोक्त खाता संख्या को कुर्क कर दिया गया था। उक्त शाखा प्रबन्धक, वादऋणी के उपरोक्त खाता को अविलम्ब अवमुक्त करना सुनिश्चित करें। इस बाबत शाखा प्रबन्धक, को पत्र लिखा जाये। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(ललित नारायण झा)
पीठासीन अधिकारी,
कामर्शियल कोर्ट, झांसी।

Digitally signed by LALIT NARAYAN JHA
Date: 2026.04.13 17:06:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court